



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 196/15

निर्णय दिनांक:-19.04.2018

1. महीपाल | पुत्रगण गुमानाराम जाति बिश्नोई निवासी रणजीतपुरा
2. गंगाबिशन | तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोंडेन्ट्

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 27-07-2011
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 27-07-2011 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा गरीब चयनित परिवार का काश्तकारी पेशा भूमिहीन किसान है। अपीलांट द्वारा विशेष आवंटन के तहत चक 18 केडब्ल्यूडी

के मुर्ब्बा नम्बर 165/11 की 23.05 बीघा भूमि के आवंटन हेतु नियमानुसार का प्रार्थना पत्र पेश किया था। अपीलांट द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, निर्वाचन सूची एवं तमाम सबूतों के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर अदालत मातहत द्वारा कोई गौर नहीं करते हुए बिना अपीलांट को कोई सूचना व नोटिस दिये अपीलांट का प्रार्थना पत्र समान वरियता में अनुपस्थित रहने के कारण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी। इस प्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट समान वरियता में दर कम रहने के कारण अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27-07-2011 के विरुद्ध अपील दिनांक 29-10-15 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।
5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 27-07-2011 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 29-10-2015 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांत ने अदालत मातहत के समक्ष विशेष आवंटन के तहत चक 18 केडब्ल्यूडी के मुरब्बा नम्बर 165/11 कर 23.05 बीघा भूमि के आवंटन की इस्तदुआ की गई थी। अपीलांत को अपने प्रार्थना पत्र के साथ वांछित सबूत यथा मूल निवासी प्रमाण पत्र, भूमि तस्दीक/सद्भाविक कृषक प्रमाण पत्र व निर्वाचन सूची 2003 आदि प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये थे।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांत का आवंटन प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति की राय से इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांत द्वारा आवेदन रकबे पर एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत हुए हैं तथा अपीलांत समान वरियता में अनुपस्थित रहने के कारण अपीलांत का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(4) प्रकरण में अपीलांत द्वारा विशेष आवंटन हेतु चक 18 केडब्ल्यूडी के मुरब्बा नम्बर 165/11 कर 23.05 बीघा भूमि के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। चूंकि उक्त मुरब्बे हेतु अन्य आवेदकों द्वारा भी अपने-अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा समस्त आवंटन प्रार्थना पत्रों को आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलांत द्वारा व अन्य आवेदकों द्वारा आवंटन के संबंध में अपीलांत समान वरियता में अनुपस्थित रहने के कारण अपीलांत का आवंटन प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही आवंटन सलाहकार समिति की राय से सम्पादित की गई, व समिति की राय से ही अपीलांत का आवंटन प्रार्थना पत्र समान वरियता में अनुपस्थित रहने के कारण आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांत की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 27-07-2011 बहाल रखा जाता है।
8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 19.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर